

प्रारंभिक परीक्षा

आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम

संदर्भ

पंचायती राज मंत्रालय ने समर्थ (SAMARTH) पंचायत पोर्टल के साथ आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम शुरू किया।

आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के बारे में

- **प्रकृति:** ग्राम और ब्लॉक पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल।
- **उद्देश्य:** पंचायतों को स्थानीय संपत्तियों (assets) और आर्थिक अवसरों की पहचान करने तथा उन्हें स्वयं के स्रोत राजस्व (Own Source Revenue - OSR) को बढ़ाने के लिए बैंक-योग्य (bankable), राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं में विकसित करने में मदद करना।
- **कार्यान्वयन:** यह पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जबकि वित्तपोषण सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण (convergence), और बैंक वित्तपोषण के माध्यम से सुगम बनाया जाता है, जिसमें नाबार्ड (NABARD) और हुडको (HUDCO) संस्थागत भागीदार (institutional partners) हैं।
- **पात्रता:** यह उन ग्राम पंचायतों के लिए खुला है जिनका न्यूनतम OSR ₹50 लाख है और ब्लॉक पंचायतों के लिए जिनका न्यूनतम OSR ₹1 करोड़ है, जिनमें से प्रत्येक का कम से कम तीन साल का कार्यकाल शेष हो; विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पात्रता मानदंडों में छूट दी गई है।

समर्थ (SAMARTH) पंचायत पोर्टल के बारे में

- **प्रकृति:** ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत राजस्व (OSR) के प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रबंधन के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म।
- **कार्य:** OSR के संपूर्ण जीवनचक्र (lifecycle) को सक्षम बनाता है, जिसमें करदाता पंजीकरण, मांग सृजन (demand generation), ऑनलाइन भुगतान, राजस्व संग्रह और वास्तविक समय की निगरानी शामिल है।
- **कार्यान्वयन:** छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल (onboard) होने वाले पहले राज्य हैं।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY)

संदर्भ

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) को 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक बढ़ा दिया है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) के बारे में

- **प्रकृति:** कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अधिनियम, 1948 के तहत कवर किए गए श्रमिकों के लिए एक बेरोजगारी राहत योजना।
- **उद्देश्य:** उन बीमित श्रमिकों को अस्थायी वित्तीय सहायता प्रदान करना जो अपनी नौकरी खो देते हैं और नए रोजगार की तलाश कर रहे होते हैं।
- **लाभ:** बीमित व्यक्ति के जीवनकाल में एक बार, अधिकतम 90 दिनों के लिए औसत दैनिक मजदूरी (पिछले चार अंशदान अवधियों के आधार पर) का 50% प्रदान करता है।
- **पात्रता:** ESI अधिनियम के तहत कवर किए गए उन बीमित व्यक्तियों पर लागू होता है जिनके पास कम से कम दो साल का बीमा-योग्य रोजगार है, जिन्होंने पिछले चार अंशदान अवधियों में से प्रत्येक में कम से कम 78 दिनों के लिए अंशदान (contribute) किया है, बेरोजगार हैं, और जिनका आधार (Aadhaar) और बैंक खाता लिंक है।
- **अपवाद (Exclusions):** स्वैच्छिक इस्तीफे/सेवानिवृत्ति, अनुशासनात्मक बर्खास्तगी, अवैध हड़ताल, तालाबंदी, पुनरोजगार, अधिवर्षिता (superannuation), दो साल से कम की अंशदायी सेवा, ESI अधिनियम के तहत दोषसिद्धि (conviction), या मृत्यु के मामलों में लाभ उपलब्ध नहीं हैं। बेरोजगारी के एक वर्ष के भीतर दावे प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

ब्लू स्ट्रैगलर स्टार (BSS)

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ भारतीय खगोलविदों ने निर्माण की प्रक्रिया में एक ब्लू स्ट्रैगलर स्टार (BSS) की दुर्लभ खोज की रिपोर्ट दी है, जो एक बाइनरी (द्विआधारी) तारा प्रणाली में द्रव्यमान स्थानांतरण (mass transfer) के माध्यम से इसके निर्माण का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करता है।

ब्लू स्ट्रैगलर स्टार (BSS) के बारे में

- **प्रकृति:** ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स (BSS) तारा गुच्छों (star clusters) में पाए जाने वाले तारों का एक अजीब वर्ग (peculiar class) है जो समान उम्र के अन्य तारों की तुलना में अधिक गर्म, चमकीले और अधिक विशाल दिखाई देते हैं।
- **उपस्थिति:** वे आमतौर पर गोलाकार गुच्छों (globular clusters) जैसी पुरानी, सघन तारकीय प्रणालियों (dense stellar systems) में देखे जाते हैं, और खुले गुच्छों (open clusters), बौनी आकाशगंगाओं (dwarf galaxies) और गांगेय क्षेत्र (galactic field) में भी पाए जाते हैं।
- **विशेषता:** वे रंग-परिमाण आरेख (colour-magnitude diagram) पर मुख्य-अनुक्रम टर्न-ऑफ बिंदु (main-sequence turn-off point) से परे स्थित होते हैं, जो एक असामान्य विकासवादी पथ (evolutionary path) का संकेत देता है।
- **अनोखा विकास:** सामान्य तारों के विपरीत, जो उम्र के साथ ठंडे और बड़े हो जाते हैं, ब्लू स्ट्रैगलर अधिक गर्म, नीले और अधिक चमकीले (luminous) बने रहते हैं, और पड़ोसी तारों की तुलना में छोटे (younger) दिखाई देते हैं।
- **निर्माण:** माना जाता है कि उनका निर्माण किसी साथी तारे से द्रव्यमान स्थानांतरण (mass transfer) या तारकीय विलय (stellar mergers) के माध्यम से होता है; नवीनतम खोज एक बाइनरी सिस्टम में द्रव्यमान स्थानांतरण के माध्यम से निर्माण के लिए प्रत्यक्ष अवलोकन संबंधी साक्ष्य (observational evidence) प्रदान करती है।

- **हालिया खोज:** ओपन क्लस्टर (open cluster) कोलंडर 261 (Collinder 261) में बाइनरी सिस्टम TIC 327546480 में बन रहे BSS की पहचान की गई, जहां साथी तारा अपने रोश लोब (Roche lobe) के अतिप्रवाह (overflow) होने के बाद पदार्थ स्थानांतरित कर रहा है।

भार्गवास्त्र काउंटर-ड्रोन प्रणाली

संदर्भ

सेना को 'भार्गवास्त्र' (Bhargavastra) नामक एक नई काउंटर-स्वार्म ड्रोन प्रणाली (counter-swarm drone system) प्रदर्शित की गई है।

भार्गवास्त्र काउंटर-ड्रोन प्रणाली के बारे में

- **प्रकृति:** व्यक्तिगत ड्रोनों, ड्रोन स्वार्म (drone swarms) और लोइटरिंग म्यूनिशंस (loitering munitions) का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए डिज़ाइन की गई एक स्वदेशी रूप से विकसित, वाहन-माउंटेड (vehicle-mounted) काउंटर-ड्रोन प्रणाली।
- **उद्देश्य:** मानव रहित हवाई प्रणालियों (UAS) के बढ़ते खतरे के खिलाफ एक मोबाइल, स्तरीय (layered) और लागत-प्रभावी वायु रक्षा प्रदान करना।
- **स्तरीय रक्षा (Layered Defence):** ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए अनगाइडेड माइक्रो-रॉकेट (20 मीटर घातक त्रिज्या), सटीक-निर्देशित माइक्रो-मिसाइल (2.5 किमी तक इंटरसेप्शन रेंज), और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग (सॉफ्ट-किल) को जोड़ती है।
- **परिचालन क्षमता:** 10 किमी तक बड़े UAVs और 6 किमी तक छोटे ड्रोनों का पता लगाती है, रेगिस्तान से लेकर 5,000 मीटर से ऊपर के उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक काम करती है, और जैमिंग जैसे पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपायों के प्रति प्रतिरोधी है।

संग्रहालय अनुदान योजना (MUSEUM GRANT SCHEME)

संदर्भ

संस्कृति मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि वह पूरे भारत में संग्रहालय के बुनियादी ढांचे और विरासत संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए संग्रहालय अनुदान योजना लागू कर रहा है।

संग्रहालय अनुदान योजना

- **प्रकृति:** संस्कृति मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme), जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था।
- **उद्देश्य:** नए संग्रहालयों की स्थापना, मौजूदा संग्रहालयों के आधुनिकीकरण, संग्रहालय संग्रह के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और संग्रहालय क्षेत्र में पेशेवर क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **कवरेज (Coverage):** संग्रहालय विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), सोसाइटियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और पंजीकृत ट्रस्टों का समर्थन करती है।

- **श्रेणियां (Categories):** संग्रहालयों को श्रेणी I (राज्यों की राजधानियों में प्रसिद्ध केंद्र/राज्य सरकार के संग्रहालय), श्रेणी II (अन्य केंद्र/राज्य सरकार और PSU संग्रहालय), और श्रेणी III (सोसाइटियां, स्वायत्त निकाय, स्थानीय निकाय, शैक्षणिक संस्थान, PSU और पंजीकृत ट्रस्ट) में वर्गीकृत करती है, जिनमें से प्रत्येक के लिए अलग फंडिंग मानदंड हैं।
- **वित्तीय सहायता:** श्रेणी I के लिए ₹15 करोड़ तक का अनुदान, नए श्रेणी II संग्रहालयों के लिए ₹10 करोड़ और मौजूदा के लिए ₹8 करोड़, तथा नए श्रेणी III संग्रहालयों के लिए ₹5 करोड़ और मौजूदा के लिए ₹4 करोड़ का अनुदान प्रदान करती है। संग्रहालय पेशेवरों के प्रशिक्षण और डिजिटलीकरण के लिए अतिरिक्त सहायता उपलब्ध है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)

संदर्भ

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के बाद आक्रामक विदेशी प्रजातियों (Invasive Alien Species) पर एक बहु-विषयक विशेषज्ञ समिति (multi-disciplinary Expert Committee) का गठन किया है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) के बारे में

- **प्रकृति:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत एक स्वायत्त वैधानिक निकाय।
- **स्थापना:** जैविक विविधता सम्मेलन (CBD) के तहत भारत के दायित्वों को लागू करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act, 2002) के तहत गठित।
- **उद्देश्य:** जैविक विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग, और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण (एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग - ABS) को बढ़ावा देना।
- **नियामक कार्य (Regulatory Functions):** जैविक संसाधनों तक विदेशी पहुंच (foreign access), शोध परिणामों के हस्तांतरण, और भारतीय जैविक संसाधनों पर आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) आवेदनों के लिए मंजूरी प्रदान करता है।
- **संस्थागत ढांचा:** राज्य जैव विविधता बोर्डों (SBBs) के साथ समन्वय करता है और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) की देखरेख करता है, जो स्थानीय जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने के लिए पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्स (PBRs) तैयार करते हैं।
- **सलाहकारी भूमिका:** जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता विरासत स्थलों की अधिसूचना पर सरकारों को सलाह देता है, और उभरते पारिस्थितिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन करता है।

खतरे में विश्व धरोहरों की यूनेस्को सूची

(UNESCO LIST OF WORLD HERITAGE IN DANGER)

संदर्भ

दक्षिण कोरिया के बसान में विश्व धरोहर समिति (World Heritage Committee) के 48वें सत्र के दौरान, यूनेस्को ने खतरे में विश्व धरोहरों की सूची में छह स्थलों को जोड़ा।

खतरे में विश्व धरोहरों की यूनेस्को सूची के बारे में

- **प्रकृति:** 1972 के विश्व धरोहर कन्वेंशन (World Heritage Convention) के तहत स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण तंत्र।
- **उद्देश्य:** गंभीर खतरों का सामना कर रहे विश्व धरोहर स्थलों की पहचान करना और आपातकालीन तकनीकी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सुधारात्मक संरक्षण उपायों को सुविधाजनक बनाना।

खतरे में विश्व धरोहरों की सूची में नए जुड़ाव (2026)

- **बोमा-बडिंगिलो माइग्रेटरी लैंडस्केप (दक्षिण सूडान):** पूर्वी अफ्रीकी सवाना जो दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय स्तनपायी प्रवास की मेजबानी करता है; अवैध शिकार (poaching), वन्यजीव तस्करी, बुनियादी ढांचे के विकास और असुरक्षा से खतरे में है।
- **माउंट अमेल कैसल (लेबनान):** पांच मध्ययुगीन पहाड़ी किलों (hilltop fortresses) का नेटवर्क; चल रहे सशस्त्र संघर्ष से होने वाले नुकसान के खतरे में है।
- **सेबस्टिया (फिलिस्तीन राज्य):** एक पुरातात्विक स्थल जो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर ओटोमन काल तक के अवशेषों को संरक्षित करता है; भूमि अधिग्रहण, संघर्ष, विकास के दबाव और क्षरण से खतरे में है।
- **टॉरिक चेरनेसस का प्राचीन शहर और इसका चोरा (यूक्रेन):** काला सागर तट पर प्राचीन ग्रीक शहर; संघर्ष-संबंधित संरक्षण चुनौतियों, अनधिकृत निर्माण और उत्खनन से खतरे में है।
- **पारामारिबो का ऐतिहासिक आंतरिक शहर (सूरीनाम):** अपनी अनूठी स्थापत्य विरासत के लिए जाना जाने वाला पूर्व डच औपनिवेशिक शहर; उच्च-घनत्व वाले शहरी विकास से खतरे में है।
- **टायर (लेबनान):** अपने बंदरगाह और रोमन स्मारकों के लिए प्रसिद्ध प्राचीन विनीशियन (Phoenician) शहर; चल रही क्षेत्रीय सशस्त्र शत्रुता (armed hostilities) से खतरे में है।

मुख्य परीक्षा

स्कूली शिक्षा का बदलता परिदृश्य

संदर्भ

भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। हालांकि, सीखने के परिणामों (learning outcomes), शासन, मूल्यांकन और हालिया परीक्षा-संबंधित विवादों पर लगातार चिंताएं, विस्तार (expansion) को गुणवत्ता, जवाबदेही और विश्वसनीयता के साथ संतुलित करने की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

शिक्षा भारत में सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में क्यों उभरी है?

- **साझा विधायी अधिकार क्षेत्र (Shared Legislative Jurisdiction):** शिक्षा को समवर्ती सूची (Concurrent List) में रखा गया है, जो केंद्र और राज्य दोनों को इस विषय पर कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार देता है। इस साझा विधायी क्षमता के लिए आवश्यक है कि शैक्षिक सुधार एकतरफा कानून बनाने के बजाय एक साझा संवैधानिक ढांचे के भीतर विकसित किए जाएं।
 - उदाहरण: 42वें संविधान संशोधन (1976) ने शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया, जिससे संघ और राज्यों के बीच साझा विधायी जिम्मेदारी स्थापित हुई।
- **राजकोषीय अन्योन्याश्रयता (Fiscal Interdependence):** बड़े पैमाने पर शैक्षिक सुधारों के लिए अधिकांश राज्यों की क्षमता से अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिससे संयुक्त वित्तपोषण आवश्यक हो जाता है। परिणामस्वरूप, प्रमुख कार्यक्रमों को सरकार के किसी भी स्तर द्वारा स्वतंत्र रूप से वित्त पोषित होने के बजाय केंद्र-राज्य लागत-साझाकरण व्यवस्था (cost-sharing arrangements) के माध्यम से लागू किया जाता है।
 - उदाहरण: समग्र शिक्षा 60:40 केंद्र-राज्य वित्तपोषण पैटर्न (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) का अनुसरण करती है, जिससे सरकार के दोनों स्तरों की वित्तीय भागीदारी अपरिहार्य हो जाती है।
- **नीति-कार्यान्वयन विभाजन (Policy–Execution Divide):** केंद्र मुख्य रूप से राष्ट्रीय नीतिगत ढांचे और शैक्षणिक मानक (academic standards) तैयार करता है, जबकि राज्य पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रबंधन और स्कूल प्रशासन के माध्यम से उन्हें कक्षा के अभ्यास में लागू (translate) करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह कार्यात्मक विभाजन शिक्षा को निरंतर केंद्र-राज्य सहयोग पर निर्भर बनाता है।
 - उदाहरण: एनईपी (NEP) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) राष्ट्रीय नीति की दिशा प्रदान करते हैं, जबकि राज्य उन्हें SCERT, पाठ्यपुस्तक बोर्डों और शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से लागू करते हैं।
- **क्षेत्रीय विविधता और संघीय समायोजन (Regional Diversity and Federal Accommodation):** शिक्षा का भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय पहचान से गहरा संबंध है, जिसके लिए राष्ट्रीय नीतियों को एक समान मॉडल थोपने के बजाय विविध राज्य प्राथमिकताओं को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप, बातचीत के माध्यम से समायोजन (negotiated accommodation) शैक्षिक नीति-निर्माण की एक अंतर्निहित विशेषता बन जाता है।

- उदाहरण: NEP 2020 त्रि-भाषा सूत्र (three-language formula) की सिफारिश करता है, लेकिन भाषाओं का चुनाव अलग-अलग राज्यों पर छोड़ देता है, जिससे कार्यान्वयन में क्षेत्रीय भाषाई प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित होने की अनुमति मिलती है।
- **संस्थागत अंतर-सरकारी मंच (Institutionalised Intergovernmental Forums):** शिक्षा में समर्पित संस्थागत मंच हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच नियमित परामर्श को सुविधाजनक बनाते हैं। ये मंच स्थायी संस्थागत तंत्र प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से नीतिगत मतभेदों पर विचार-विमर्श किया जाता है और सहकारी निर्णय लिए जाते हैं।
 - उदाहरण: केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) कार्यान्वयन से पहले प्रमुख शिक्षा नीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री और राज्य के शिक्षा मंत्रियों को एक साथ लाता है।

स्कूल नामांकन में सुधार, सीखने के परिणामों में आनुपातिक सुधार में क्यों नहीं बदला है?

- **पहुंच-केंद्रित नीति डिजाइन (Access-Centric Policy Design):** शिक्षा सुधारों ने शुरू में नामांकन और बुनियादी ढांचे को कानूनी रूप से प्रवर्तनीय (enforceable) बनाकर स्कूल तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाने को प्राथमिकता दी, जबकि सीखने की गुणवत्ता एक द्वितीयक कार्यान्वयन प्राथमिकता बनी रही। परिणामस्वरूप, शिक्षा प्रणाली की सीखने को सुनिश्चित करने की क्षमता की तुलना में स्कूली शिक्षा का विस्तार तेजी से हुआ।
 - उदाहरण: आरटीई (RTE) अधिनियम, 2009 ने सार्वभौमिक नामांकन की गारंटी दी और बुनियादी ढांचे के मानदंड निर्धारित किए, जबकि कक्षा-वार सीखने के परिणाम (Learning Outcomes) औपचारिक रूप से केवल 2017 में अधिसूचित किए गए थे।
- **शैक्षणिक बेमेल/असंतुलन (Pedagogical Mismatch):** चूंकि नामांकन तेजी से बढ़ा, इसलिए कक्षाएं पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों और विभिन्न शिक्षण स्तरों के छात्रों के साथ अधिक विविध हो गईं। हालांकि, शिक्षण विधियां वास्तविक सीखने की जरूरतों के अनुरूप होने के बजाय पाठ्यक्रम-संचालित (syllabus-driven) और ग्रेड-विशिष्ट (grade-specific) बनी रहीं।
 - उदाहरण: RTE अधिनियम के तहत, बच्चों को आयु-उपयुक्त ग्रेड में प्रवेश दिया गया, जबकि 'टीचिंग एट द राइट लेवल' (TaRL) जैसे संरचित उपचारात्मक (remedial) दृष्टिकोणों ने बाद में निपुण भारत (NIPUN Bharat - 2021) जैसी पहलों के माध्यम से नीतिगत ध्यान आकर्षित किया।
- **कमजोर शिक्षण जवाबदेही (Weak Learning Accountability):** चूंकि कक्षाएं सीखने के इन अंतरालों (learning gaps) को पर्याप्त रूप से पाट नहीं सकती थीं, इसलिए मूल्यांकन प्रणालियों को उन्हें जल्दी पहचानने और सुधारने की आवश्यकता थी। इसके बजाय, जवाबदेही तंत्र ने काफी हद तक मूलभूत दक्षताओं (foundational competencies) में निपुणता के बजाय प्रगति (progression) और अनुपालन (compliance) को ट्रैक किया।
 - उदाहरण: RTE अधिनियम की धारा 16 (इसके 2019 के संशोधन से पहले) के तहत नो-डिटेंशन पॉलिसी (No-Detention Policy) ने समय पर अकादमिक सुधार (remediation) के प्रोत्साहन को कम कर दिया, जबकि UDISE+ मुख्य रूप से नियमित सीखने के परिणामों के बजाय नामांकन और बुनियादी ढांचे की निगरानी करता है।

- **अनदेखे लर्निंग गैप्स का बढ़ना (Compounding of Undetected Learning Gaps):** चूंकि मूलभूत अंतरालों को न तो पहचाना गया और न ही प्रभावी ढंग से दूर किया गया, इसलिए वे ग्रेडों (grades) में जमा (accumulate) होते गए। चूंकि पाठ्यक्रम का प्रत्येक चरण पिछली दक्षताओं की निपुणता (mastery) को मानकर चलता है, इसलिए प्रारंभिक सीखने की कमियों ने उच्च-स्तरीय अवधारणाओं को अवशोषित करने की छात्रों की क्षमता को उत्तरोत्तर कम कर दिया।
 - उदाहरण: NAS कई दक्षताओं में उच्च ग्रेड में कम प्रवीणता (proficiency) को दर्शाता है, जो स्कूल चक्र में कमजोर मूलभूत शिक्षा के संचयी प्रभाव को दर्शाता है।
- **मांग-पक्ष की सीखने की बाधाएं (Demand-Side Learning Constraints):** यहां तक कि जहां स्कूल प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, वहां भी सीखना कक्षा के बाहर के कारकों से प्रभावित होता है। कम पैतृक साक्षरता, सीमित घरेलू शिक्षा समर्थन, खराब प्रारंभिक बचपन का विकास और सामाजिक-आर्थिक वंचना (deprivation) बच्चों की स्कूली शिक्षा से पूरी तरह लाभान्वित होने की क्षमता को सीमित कर देती है।
 - उदाहरण: ASER और IHDS जैसे अध्ययनों से पता चलता है कि जिन घरों में माता-पिता की शिक्षा उच्च है और घर में सीखने का माहौल बेहतर है, वहां के बच्चे सीखने के परिणाम काफी बेहतर हासिल करते हैं।

मानकीकरण (Standardisation) ने भारत में शैक्षिक शासन को किस हद तक नया रूप दिया है?

- **समान पाठ्यचर्या संरचना (Uniform Curricular Architecture):** राष्ट्रीय प्राधिकरण (authorities) तेजी से सामान्य पाठ्यचर्या ढांचे (common curricular frameworks) निर्धारित करते हैं, जिससे इस बात में भिन्नता कम हो जाती है कि राज्यों में छात्रों से क्या सीखने की अपेक्षा की जाती है। इसने पाठ्यचर्या डिजाइन को राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित सीखने के मानकों की ओर स्थानांतरित कर दिया है।
 - उदाहरण: एनईपी 2020 के तहत विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2023, राज्यों को अपने पाठ्यक्रम को संशोधित करते समय अनुकूलित करने के लिए सामान्य पाठ्यचर्या सिद्धांत और सीखने के मानक प्रदान करती है।
- **मानकीकृत मूल्यांकन ढांचे (Standardised Assessment Frameworks):** छात्रों के सीखने को तेजी से सामान्य योग्यता-आधारित (competency-based) मूल्यांकन ढांचे के माध्यम से मापा जाता है, जिससे राज्यों में सीखने के परिणामों की तुलना सक्षम होती है।
 - उदाहरण: राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) सामान्य योग्यता ढांचे का उपयोग करके राज्यों भर के छात्रों का आकलन करता है, जबकि छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशानिर्देश विकसित करने के लिए एनसीईआरटी (NCERT) के तहत परख (PARAKH) की स्थापना की गई है।
- **समान शिक्षक पात्रता मानक (Uniform Teacher Eligibility Standards):** स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानकों द्वारा शासित होती है, जिससे देश भर में शिक्षक योग्यता मानदंडों में अधिक एकरूपता आती है।
 - उदाहरण: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) न्यूनतम शिक्षक पात्रता मानकों को बनाए रखने के लिए CTET और राज्य TET (TETs) सहित शिक्षक पात्रता परीक्षणों (Teacher Eligibility Tests) के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करती है।

- **मानकीकृत शैक्षिक रिकॉर्ड (Standardised Educational Records):** शैक्षिक शासन संस्थानों में शैक्षिक डेटा और शिक्षार्थी रिकॉर्ड को मानकीकृत करने के लिए तेजी से सामान्य डिजिटल सूचना प्रणालियों पर निर्भर करता है।
 - उदाहरण: UDISE+ स्कूली शिक्षा पर एक समान राष्ट्रीय डेटाबेस प्रदान करता है, जबकि APAAR शिक्षा के विभिन्न चरणों में अकादमिक रिकॉर्ड के रखरखाव को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अद्वितीय छात्र पहचानकर्ता (unique student identifier) पेश करता है।
- **संघीय विविधता कायम है (Federal Diversity Persists):** बढ़ते मानकीकरण के बावजूद, राज्य पाठ्यक्रम अनुकूलन, भाषा नीति और कार्यान्वयन पर महत्वपूर्ण स्वायत्तता बनाए रखते हैं, जो शैक्षिक शासन में पूर्ण एकरूपता को सीमित करता है।
 - उदाहरण: तमिलनाडु जैसे राज्यों ने NEP 2020 में प्रस्तावित त्रि-भाषा सूत्र (three-language formula) को नहीं अपनाया है, और राज्य अपने स्वयं के SCERT पाठ्यपुस्तकों को विकसित और निर्धारित करना जारी रखे हुए हैं।

आगे की राह

- **परिणाम-उन्मुख जवाबदेही (Outcome-Oriented Accountability):** शैक्षिक सफलता को नामांकन, बुनियादी ढांचे या पूर्णता दरों के बजाय मुख्य रूप से सीखने के परिणामों से आंका जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूली शिक्षा मापने योग्य दक्षताओं में तब्दील हो।
 - उदाहरण: निपुण भारत (NIPUN Bharat) को नियमित जनगणना-आधारित (census-based) मूलभूत शिक्षण आकलनों द्वारा पूरक किया जाना चाहिए, जो मुख्य रूप से ASER जैसे आवधिक नमूना सर्वेक्षणों (sample surveys) पर निर्भर रहने के बजाय सीखने की कमियों की शीघ्र पहचान को सक्षम करेगा।
- **संरचित अकादमिक उपचारात्मक कदम (Structured Academic Remediation):** छात्रों के उच्च ग्रेड में जाने से पहले सीखने के अंतरालों (learning gaps) को समय पर उपचारात्मक सहायता (remedial support) प्रदान करनी चाहिए, जिससे समय के साथ कमजोर नींव को जमा होने से रोका जा सके।
 - उदाहरण: कक्षा 5 और 8 में छात्रों को रोकने (detention) की अनुमति देने वाले RTE अधिनियम के 2019 के संशोधन के साथ-साथ ग्रेड दोहराने के किसी भी निर्णय से पहले अनिवार्य ब्रिज कोर्स और उपचारात्मक निर्देश होने चाहिए।
- **विविध कक्षाओं के लिए शिक्षक क्षमता (Teacher Capacity for Diverse Classrooms):** शिक्षक तैयारी को शिक्षकों को एक समान पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विभेदित (differentiated) और योग्यता-आधारित (competency-based) निर्देश के माध्यम से विभिन्न शिक्षण स्तरों वाली कक्षाओं को संभालने के लिए सुसज्जित करना चाहिए।
 - उदाहरण: भिन्न-भिन्न मूलभूत शिक्षण स्तरों वाले छात्रों का समर्थन करने के लिए टीचिंग एट द राइट लेवल (TaRL) को शिक्षक प्रशिक्षण और कक्षा अभ्यास में एकीकृत किया जा सकता है।
- **सहकारी शैक्षिक संघवाद (Cooperative Educational Federalism):** प्रमुख शिक्षा सुधारों को निरंतर केंद्र-राज्य परामर्श के माध्यम से आकार दिया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि राष्ट्रीय प्राथमिकताएं राज्य-स्तरीय प्रशासनिक और प्रासंगिक (contextual) वास्तविकताओं को शामिल करती हैं।

- उदाहरण: प्रमुख नीतिगत सुधारों के दौरान केंद्र-राज्य परामर्श के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) जैसे संस्थानों को नियमित मंच के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।
- **स्थिर राजकोषीय संघवाद (Stable Fiscal Federalism):** स्कूली शिक्षा के लिए अनुमानित और पर्याप्त राजकोषीय सहायता की आवश्यकता है, जिससे राज्य अनिश्चित फंडिंग से उत्पन्न होने वाले व्यवधानों के बिना दीर्घकालिक सुधारों को लागू करने में सक्षम हो सकें।
 - उदाहरण: कार्यान्वयन में निरंतरता में सुधार के लिए समग्र शिक्षा फंडिंग को अधिक अनुमानित बहु-वर्षीय (multi-year) वित्तीय प्रतिबद्धताओं के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- **लचीले राष्ट्रीय मानक (Flexible National Standards):** राष्ट्रीय मानकों को न्यूनतम सीखने और गुणवत्ता के मानदंड (benchmarks) परिभाषित करने चाहिए, जबकि राज्यों को स्थानीय जरूरतों को प्रतिबिंबित करने के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन, शिक्षाशास्त्र और भाषा में लचीलेपन की अनुमति देनी चाहिए।
 - उदाहरण: राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) 2023 सामान्य पाठ्यचर्या सिद्धांत प्रदान करती है, जबकि राज्य उन्हें अपने संबंधित SCERT और पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से अनुकूलित करते हैं।
- **अंतर-संचालित डिजिटल शासन (Interoperable Digital Governance):** डिजिटल शिक्षा प्लेटफार्मों को सामान्य डेटा मानकों को बढ़ावा देना चाहिए जो संस्थानों में कुशल प्रशासन का समर्थन करते हुए निर्बाध रिकॉर्ड प्रबंधन को सक्षम बनाते हैं।
 - उदाहरण: UDISE+ स्कूल-स्तरीय शैक्षिक डेटा का मानकीकरण करता है, जबकि APAAR शिक्षा के विभिन्न चरणों में शिक्षार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड की निरंतरता की सुविधा प्रदान करता है।